



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1489

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18935 वर्ष 2025

बाल चंद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	प्रशांत मिश्रा
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल को सुना।

2. इस न्यायालय ने 16.12.2025 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को अनुदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की गई। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय लाल ने अनुदेश उपलब्ध करा दिए हैं। उनका कहना है कि वे अनुदेशों से भलीभांति परिचित हैं और ये अनुदेश याचिका के निपटारे के लिए स्वयं-पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, अतः पक्षों की सहमति से याचिका का निर्णय आरंभिक स्तर पर किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने 13.01.2023 को सेक्टर-2, राज्य कर, गोरखपुर में राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और निलंबन आदेश पारित होने के दिनांक पर उन्हें लिपिकवर्गीय कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकारी) से पदोन्नत किया गया था। वर्तमान में वे सेक्टर-2, गोरखपुर में राज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात हैं और उनका स्थानांतरण कर

लेखापरीक्षा जोन-बी, गोरखपुर में कर दिया गया है, जहां उन्होंने 05.07.2025 को पद का कार्यभार अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ग्रहण किया। रिट याचिकाकर्ता राज्य कर अधिकारी के पद पर तैनात थे, तभी 13.11.2025 को आक्षेपित निलंबन आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत रिट याचिकाकर्ता को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया कि लोटस वैली रिसॉर्ट, गोरखपुर में स्थित 'मेसर्स तिवारी एंटरप्राइजेज' नामक एक फर्म ने 18.03.2024 को जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और 18.04.2024 को इसे स्वतः स्वीकृत कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने भौतिक निरीक्षण संचालित किया और पाया कि उक्त संस्था अस्तित्व में नहीं थी और उसने 21.06.2024 को सहायक आयुक्त के समक्ष प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहायक आयुक्त ने 01.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने जीएसटी पंजीकरण निलंबित नहीं किया। 20.09.2024 को उक्त फर्म ने धोखाधड़ी से आईटीसी का दावा किया और 24.10.2024 को जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

4. निलंबन आदेश पर प्रश्न उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. इस न्यायालय ने दिनांक 16.12.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:

“रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता राज्य कर अधिकारी हैं। तिवारी एंटरप्राइजेज नामक एक फर्म ने 18.03.2024 को जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और 18.04.2024 को इसे स्वतः स्वीकृत कर दिया गया था और 21.06.2024 को रिट याचिकाकर्ता ने निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, सहायक आयुक्त ने 01.07.2024 को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया और जीएसटी पंजीकरण को निलंबित नहीं किया। 20.09.2024 को उक्त फर्म ने धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया और 24.10.2024 को पंजीकरण रद्द कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने निरीक्षण किया था और 21.06.2024 को करदाता के विरुद्ध नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए सहायक आयुक्त का यह दायित्व था कि वह न केवल कारण बताओ नोटिस जारी करे बल्कि जीएसटी लाइसेंस को निलंबित भी करे, हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

इस मामले को 06.01.2026 को नए के रूप में प्रस्तुत करें।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आदेश पारित होने के बाद, आज सहायक आयुक्त बिक्री कर/राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 17.12.2025 को अनुदेश अग्रेषित किए गए हैं, जिसे अभिलेख में दर्ज कर परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता द्वारा कोई कदाचार नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नीतियों और परिपत्रों में वास्तव में जीएसटी लाइसेंस की स्वतः स्वीकृति का प्रावधान है। हालांकि, स्वतः स्वीकृति के बाद की पूर्व-आवश्यक शर्त यह है कि सक्षम प्राधिकारी भौतिक निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, भले ही भौतिक निरीक्षण में देरी हो। रिपोर्ट 21.06.2024 को प्रस्तुत की गई और उक्त प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा 01.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन सहायक आयुक्त ने अपने कारणों से जीएसटी लाइसेंस को निलंबित नहीं किया और केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर करदाता को धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अवसर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया। तर्क यह है कि जब सहायक आयुक्त को प्रतिकूल रिपोर्ट की जानकारी थी, तो उन्हें जीएसटी लाइसेंस निलंबित कर देना चाहिए था, और चूंकि गलती उनकी थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ता को राज्य के खजाने को धोखा देने से संबंधित कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रिट याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने से नहीं हिचकिचाता, फिर भी वह निलंबन आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता है।

8. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.06.2023 और 14.11.2018 के परिपत्रों के अनुसार, स्वतः स्वीकृत होने के बाद, भौतिक निरीक्षण 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना है। हालांकि, सहायक आयुक्त (उचित अधिकारी) पर यह कर्तव्य आबंटित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भौतिक निरीक्षण में देरी के कारण उक्त स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि, वे इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि प्रतिकूल रिपोर्ट 21.06.2024 को सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, हालांकि सहायक आयुक्त ने जीएसटी लाइसेंस निलंबित नहीं किया था और अंततः 24.10.2024 को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। इसी बीच, 20.09.2024 को करदाता द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया था। उनके अनुसार, निलंबन आदेश को रद्द किया जाए और जांच कराने का निर्देश दिया जाए।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

10. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप फर्म/करदाता द्वारा करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करते समय धोखाधड़ीपूर्ण दावे से संबंधित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 18.03.2024 को करदाता द्वारा जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था, जिसे 18.04.2024 को स्वतः स्वीकृत कर दिया गया था। भौतिक निरीक्षण किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा 21.06.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, 01.07.2024 को सहायक आयुक्त (उचित अधिकारी) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 20.09.2024 को आईटीसी का दावा किया गया था और 24.10.2024 को जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। चाहे जो भी हो, चूंकि रिपोर्ट रिट याचिकाकर्ता द्वारा 21.06.2024 को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 20.09.2024 को धोखाधड़ी से आईटीसी का दावा किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया न्यायालय की राय है कि निलंबन को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(ए). दिनांक 30.11.2025 का निलंबन आदेश रद्द किया जाता है।

(बी). निलंबन आदेश को रद्द करने से प्रतिवादियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उसे समाप्त करने से नहीं रोका जा सकेगा।

12. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता जांच कार्यवाही में भाग लेगा, जिससे जांच अधिकारी कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा कर सकेगा।

13. यदि रिट याचिकाकर्ता कार्यवाही में भाग नहीं लेता है और अनावश्यक रूप से कार्यवाही स्थगित करवाता है, तो प्राधिकारी को निर्णय दर्ज करते समय उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त कर देनी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. रिट याचिकाकर्ता को आदेश पारित होने के दिनांक से लेकर उसे रद्द किए जाने तक, यानी आज तक, निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते कि वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए।

15. वर्तमान आदेश में किए गए किसी भी संप्रेक्षणों को गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं अर्थान्वित किया जाना चाहिए।

16. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

6 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.